कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्याः 403/सहा0सम्भा0प0वि0बा0/2022–23/वन भूमि प्र0/ दिनांक / /2023

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।

विषयः **जनपद बागेश्वर अन्तर्गत परिवहन विभाग,बागेश्वर के कार्यालय,अनावासीय भवन, ड्राईविंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनेस सेन्टर के निर्माण हेतु कुल 0.74है0 वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड परिवहन विभाग को प्रत्यावर्तन किए जाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक जनपद अन्तर्गत परिवहन विभाग के कार्यालय, अनावासीय भवन, ड्राईविंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनेस सेन्टर के निर्माण हेतु कुल 0.74है0 वन भूमि को हस्तान्तरित किये के सम्बन्ध में ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–FP/ U.K/Other/156508/2022 के क्रम में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–2763–FP/U.K/Other/156508/2022 दिनांक 01 मई, 2023 से अंकित आपत्ति का संदर्भ ग्रहण करें।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पर्यावरण , वन एवं जलवायु मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र सं0 FC-11/155/2020-FC दिनांक 24 जनवरी, 2022 के पैरा 1.15 में Non Site Specific **projects** के वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में निम्न निर्देश हैः–

(i)Para 1.15: Diversion of forest land for non-site-specific projects:

Utilization of forest area for establishing industries, construction of residential colonies, institutes,disposal of fly ash,rehabilitation of displaced persons, etc. are non-site-specific activities and can note be considered on fores land as a rule. For that matter, no non-site-specific proposal can be entertained for considering approval under the FCA 1980.In exceptional circumstances,Residential Project up to one ha. Can be considered for approval under FCA 1980 by the MoEF & CC,subject to appropriate justification and recommendation by the concerned satat Government and the Regional officer of the IRO of MoEFcc.

उक्त दिशा निर्देशों के क्रम में परिवहन विभाग बागेश्वर के Non Site Specific प्रोजेक्ट से आच्छादित कार्ययोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण हेतु औचित्य/युक्तियुक्त आधार निम्नवत हैः–

- **कार्ययोजना हेतु 0.740 है0 वन भूमि निहित है, जो 1.00 है0 से कम है, ऐसी स्थिति में योजना की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक 24 जनवरी, 2022 के पैरा 1.15 में दी गई व्यवस्था के अनुसार प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण किया जाना औचित्यपूर्ण है।**
- प्रस्तावित वन भूमि पर मात्र अवपातन श्रेणी के चीड़ के 11 तथा आम के 02 वृक्ष है तथा चौड़ी पत्ती वाले कीमती वन के वृक्ष यथा बाज, बुरांश इत्यादि नहीं है, जिससे परियोजना निर्माण में कीमती बन सम्पदा को क्षति नहीं हो रही है। जनपद का लगभग 56.00 प्रतिशत भू–भाग वनाच्छादित है, शेष अधिकांश नाप भूमि होने से प्रश्नगत वन भूमि का हस्तान्तरण उपयुक्त है।
- प्रस्तावित कार्ययोजना हेतु चयनित 0.740 है0 भूमि के ठीक ऊपर केन्द्रीय विद्यालय निर्माणाधीन है, जो कच्ची सड़क से मुख्य मार्ग में जुड़ा है। प्रस्तावित स्थल बागेश्वर–काण्डा मुख्य मार्ग से लगभग 200–300 मीटर की दूरी पर है, जहॉ पर पहुंच मार्ग (Approach road)निर्माण हेतु पृथक से वृक्ष पातन की सम्भावना नहीं है।
- UID आधार सर्वे 2022–23 के अनुसार जनपद बागेश्वर के तहसील बागेश्वर की जनसंख्या लगभग 1.32 लाख सर्वाधिक है, जबकि अन्य तहसील यथा गरूड़ 90 हजार, कपकोट 86 हजार एवं काण्डा 34 हजार लगभग है, फलतः अधिक जनसंख्या लाभ सिद्धान्त, कम दूरी के आवागमन, कम प्रदूषण के दृष्टिगत जनपद बागेश्वर के मुख्यालय तहसील बागेश्वर में परिवहन विभाग की प्रस्तावित कार्ययोजना को स्थापित किया जाना सर्वथा श्रेयकर है।

(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी,बागेश्वर।